

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

प्रार्थी
बाबुलाल पुत्र नैनमलजी, जाति
जैन, निवासी जैन धर्मशाला के
पास, तहसील व जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण:-

1. श्रीमति ज्योतिदेवी पुत्री स्व.
वीरचंदजी, पत्नी सुमेरमल
जी, जाति जैन, निवासी मडगांव,
तहसील व जिला जालोर
2. सुमेरमल पुत्र मगनाजी, जाति
जैन निवासी सांथू, तहसील व
जिला जालोर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत सांथू,
तहसील व जिला जालोर

किस्म मुकदमा-स्थगन प्रार्थनापत्र सं. R.M. 11 / 2018

अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स पद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.4.2018	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री सतपाल पुरोहित ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र, निगरानी के साथ प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 8.6.2018 को पेश हो।</p> <p>अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर</p> <p>1-5-2018 प्रार्थी वकील के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी मय वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी ने इस प्रकार में Not process किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र Not process में सारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है। आदेश कीरे इजलास सुनाया गया।</p> <p>S.d. (नरेश चुनकर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर (राज.)</p>	<p>345 20-4-18</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>